म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. दिनांक 23/02/26

क्रं 451 /म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल/ अका-1/2025-26

// आदेश //

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007, यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 200 वीं बैठक दिनांक 24/01/2026 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में श्री सत्य सांई प्रोद्यौगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की सशर्त एवं प्रावधिक कार्योत्तर अनुमति निम्नानुसार शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

क्रं.	विभाग का नाम	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9बी अनुसार)	प्रस्तावित नवीन / वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रं.	शैक्षणिक सत्र
1.	School of Law	Law	BA. LLB (Hones.)	-	60	60	BCI:3561:2025(LE/ Std./11.9.2025) Date- 20.09.2025	38	2025-26

शर्तेः-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं अन्य मापदंडों का पालन करना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों के मापदंडों के अनुसार दिये जायेगें।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/ मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।

7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/ मूल्याकंन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेंकिंग संस्था/ ऐजेंसियों के मापदंडों की पूर्ति कराना होगा।

Anjali

निरंतर......2

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल- 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnvva.in, फोन : 0755-2490322
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnvva.in, Phone : 0755-2490322

8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्याक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।

9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा.अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

DGr 23/02/26

(डॉ.देवेन्द्र सिंह गुर्जर)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन .... /म.प्र.नि. वि.वि.वि.आयोग, भोपाल/ अका-1/2025-26 Anjali दिनांक ..../.........../2026
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलसचिव, श्री सत्य सांई प्रोद्यौगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ट, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ट, प्रकोष्ट, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ट, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ति।

सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल